# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्रः–173/2019
GCMS NO:- 2019/00510
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 13.11.2019

1. पारसी पुत्र जोजे रूधनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैंनवां।
2. रामदेव पुत्र तेजा जाति बैरवा निवासी ग्राम तलवास तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. देवीलाल पुत्र तेजा जाति बैरवा निवासी ग्राम तलवास तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 251(क) आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थिया के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट।
अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 15.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम तलवास पटवार मण्ड़ल तलवास तहसील नैनवां में प्रार्थिया के खाता संख्या 86 खातेदारी कब्जे की भूमि की खसरा सं. 784 रकबा 02–12 बीघा, ख0 सं0 785 रकबा 01–01 बीघा, ख0 सं0 786 रकबा 03–10 बीघा, ख0 सं0 787 रकबा 01–12 बिघा कुल किता 4 कुल रकबा 08–15 बिघा तथा खाता सं0 87 की भूमि खसरा संख्या 782 रकबा 15 बिस्वा भूमि है इस भूमि पर 15 फूट चौडाई का रास्ता ग्राम तलवास से पूर्व दिशा में जाता हुआ भूमि खसरा संख्या 836 व 837 तथा 785 के मध्य होकर प्रार्थिया के खाते की भूमि खसरा संख्या 787 पर पहुँचता है सदैव से यही रास्ता है। इस रास्ते को संलग्न नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाया है।

उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत केम्प तलवास दिनांक 23.05.2017 को पेश हुआ। जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार निर्णय दिया गया। जिसके अनुसार ग्राम तलवास की भूमि खाता संख्या 86 के खसरा संख्या 784, 785, 786, 787 एवं खाता संख्या 87 की भूमि खसरा संख्या 782 पर पहुचने व आने जाने तथा कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिये खसरा संख्या 789, 793, 794, 795 में होकर संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित लाल स्याही से डोटेड दर्शाया गया रास्ता 15 फिट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं के निर्णय के विरूद्व अप्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की । जिसके निर्णय दिनांक 14.08.2019 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि अपीलान्टगण को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए [illegible] पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय [illegible] अनुसार [illegible] में प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर दिनांक 13.11.2019 को किया जाकर [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब में निवेदन किया [illegible] चरण संख्या 1 में बताये [illegible] व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)



Scanned with CamScanner

ट "क" में बताये गये लाल स्याही के स्थान पर प्रार्थिया का कभी भी रास्ता नहीं रहा है और न ही
ी प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में बताये गये कथित रास्ते पर होकर आवागमन किया
र्थना पत्र में वर्णित भूमि पर जाने के रास्ते ग्राम तलवास से निकल कर गैर मु0 रास्ता की भूमि
संख्या 779 में होता हुआ खसरा संख्या 837 व 838 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या
क पहुचता है जो कि प्रार्थिया के खातेदारी की भूमि है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत
ट "ब" में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ते पर होकर ही प्रार्थिया अपने खातेदारी की भूमि
ने जाने हेतु आवागमन करती चली आ रही है। यह कि वर्तमान में भी अप्रार्थीगण 2 लगायत 3 उक्त
का उपयोग कर रहे है तथा उपने कृषि यंत्रो आदि को लाने ले जाने में उपयोग उपभोग करते आ
अपने जवाब के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण ने परिशिष्ट "ब" पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट
ह अनुसार अप्रार्थीगण रास्ता देने को तैयार है तथा यह रास्ता पूर्व में पारित निर्णय में दिये गए रास्ते
दूरी का है।

मने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा
रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका
कन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अतः राजस्व लोक अदालत केम्प तलवास निर्णय
क 23.05.2017 के निर्णय को यथावत रखते हुए ग्राम तलवास की भूमि खाता संख्या 86 के खसरा
784, 785, 786, 787 एवं खाता संख्या 87 की भूमि खसरा संख्या 782 पर पहुचने व आने जाने तथा
यंत्र लाने ले जाने के लिये खसरा संख्या 789, 793, 794, 795 में होकर संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित
स्याही से डोटेड दर्शाया गया रास्ता 15 फिट चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश तहसीलदार
ाँ को दिये जाते है। इस रास्ते में खसरा संख्या 789 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 793 रकबा 01
ा, खसरा संख्या 794 रकबा 01 बिस्वा और खसरा संख्या 795 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 4 कुल
ा 06 बिस्वा भूमि आयेगी। प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"B" नाम दिया गया है, जो
न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार राजकोष में जमा
के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है
मौके पर प्रार्थिया का रास्ता 15 फीट चौडा कर नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं अन्य भू–अभिलेखों में रास्ता
किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner